भीम

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ऑफिसः द्वितीय तल, पुराना महिला हॉस्टल, पुलिस मुख्यालय के पास, लालकोठी, जयपुर -15

दूरभाषः 0141 – 2744562, 2744776 ●Website: transport.rajasthan.gov.in/jctsl ●Email: jctsl.bus@gmail.com

क्रमांकः जेसीटीएसएल/प्रनि/संस्था/डी- 907 **दिनांक 11 / 06 / 2025**

विज्ञप्ति

जेसीटीएसएल मुख्यालय एवं विभिन्न आगारो में कार्मिक (क-2) विभाग, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.17 (10) डीओपी/ए-II/94 जयपुर, दिनांक 28.03.2023 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार सरकारी/राजस्थान परिवहन निगम/ अर्द्धसरकारी /राजकीय उपक्रम से सेवानिवृत अधिकारी/ कर्मचारियों की सेवायें समेकित पारिश्रमिक पर ली जानी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

पदनाम	ग्रेड पे/पे लेवल मैट्रिक्स	पद
आगार प्रबन्धक	4800 (L-12)	02
यातायात निरीक्षक	3600 (L-10)	02
सहायक यातायात निरीक्षक	2800 (L-8)	06

अतः इच्छुक सेवानिवृत आवेदनकर्ता दिनांक 26.06.2025 तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जेसीटीएसएल कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्य जानकारी हेतु फोन नं. 0141-2744562 अथवा जेसीटीएसएल की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in/jctsl अथवा कार्यालय समय में जेसीटीएसएल मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

विशेषाधिकारी
जेसीएसएल,जयुपर

भीम BHIM

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ऑफिसः द्वितीय तल, पुराना महिला हॉस्टल, पुलिस मुख्यालय के पास, लालकोठी, जयपुर -15

दूरभाषः 0141-2744562, 2744776 •Website: transport.rajasthan.gov.in/jctsl •Email: jctsl.bus@gmail.com

जेसीटीएसएल में समेकित पारिश्रमिक पर लिये जाने वाले कार्मिको की सेवा शर्ते निम्नानुसार है-

1. आवेदक की आयु 65 वर्ष से कम हो।
2. आवेदक को शारीरिक रुप से/चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ (फिटनेस) होने का सक्षम प्राधिकारी से जारी नवीनतम चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. आवेदक की पूर्व सेवाअवधि के दौरान किसी प्रकार की दण्डिक कार्यवाही/अनुशानात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं हों।
4. आवेदक को संबंधित विभाग से सेवा संतोषपूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. सेवाअवधि के दौरान भ्रष्टाचार संबंधित मामले में दोषी/संलिप्तता नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. सेवानिवृत कर्मचारी जिस कैडर से सेवानिवृत हुआ है उसी कैडर में रिक्त पद के विरुद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।
7. कार्मिक (क-2) विभाग क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 28 मार्च 2023 परिपत्र की पालना में उक्त आवेदन में नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी।

आवेदक को वर्णित सभी शर्तो एवं पात्रताओं के सही होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने एवं पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त को भंग करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय पुनर्नियुक्ति अवधि समाप्त कर दी जावेगी।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

विशेषाधिकारी
जेसीएसएल,जयुपर

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवा में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए <u>निर्धारित प्रपत्र</u>

विभाग/कार्यालयः————————————

सेवा का नामः————————————

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम :————————————
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है :————————————
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन :————————————
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख :————————————
5. मूल विभाग का नाम :————————————
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद :————————————
7. धारित पद का वेतनमान ————————————
(सेवानिवृत्ति के समय)
8 अनुभवः————————————
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है):————————————
10 मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति):————————————
11. जिस पद के विरूद्ध पारिश्रमिक सेवाऐं ली जानी हैं, से संबंधित स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण (1)स्वीकृत पदों की संख्या————————————
(2) रिक्त पदों की संख्या————————————
12. (1) इस पद पर विभाग में कार्यरत नियमित कार्मिकों की संख्या————————————
(2) सेवानिवृति के पश्चात् वर्तमान में पुनर्नियुक्त कार्मिकों की संख्या————————————
(3) जिस पद के विरूद्ध समेकित सेवाऐं ली जानी हैं, वह पद कब से रिक्त चल रहा हैं ————————————
(4) पुनर्नियुक्ति हेतु विचाराधीन उक्त कार्मिक की प्रथम पुनर्नियुक्ति के समय रिक्त पदों की संख्या————————————
13. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी की जिस रिक्त पद के विरूद्ध सेवाएं ली जानी है, का विवरण तथा उस पद के रिक्त रहने एवं नियमानुसार अब तक भरे जाने में विलम्ब के कारणः————————————
————————————
14. सेवानिवृत कार्मिक की रिक्त पद/पदों के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति से किसी अन्य कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ? तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करें:————————————
15. क्या विभाग में रिक्त पदो के विरूद्ध भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हॉ तो किस स्तर पर?————————————
16. यदि भर्ती प्रकिया प्रारम्भ नहीं की गई है तो उसका कारण?————————————

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–'क'

सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं पर देय समेकित पारिश्रमिक राशिः–

क्र. स	पे–लेवल	परिपत्र दिनांक 08.02.2018 के आधार पर समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)	दिनांक 01.04.2023 से समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रूपयों में)
1.	L-1	6400/–	12200/–
2	L-2	6500/–	12400/–
3	L-3	7000/–	12600/–
4	L-4	7400/–	13200/–
5	L-5	9100/–	14400/–
6	L-6	9100/–	14800/–
7	L-7	9100/–	15500/–
8	L-8	10400/–	18100/–
9	L-9	10400/–	19800/–
10	L-10	12000/–	23300/–
11	L-11	13400/–	26100/–
12	L-12	17400/–	30600/–
13	L-13	19500/–	36600/–
14	L-14	19500/–	38700/–
15	L-15	21000/–	41900/–
16	L-16	21900/–	46400/–
17	L-17	23200/–	49000/–
18	L-18	24600/–	52000/–
19	L-19	25400/–	55100/–
20	L-20	29000/–	61300/–
21	L-21	40100/–	84900/–
22	L-22	42300/–	89500/–
23	L-23	46600/–	101300/–
24	L-24	47600/–	102700/–

नोट :–1. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड–पे/पे–लेवल से ए.सी.पी.योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड–पे के अनुसार समेकित पारिश्रमिक देय होगा।

2. उक्त संशोधित पारिश्रमिक का लाभ पूर्व से पुनर्नियोजित सेवानिवृत कार्मिक को भी देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393

परिशिष्ट–'ख'

राजस्थान सरकार

विभाग का नाम......

क्रमांक: जयपुर, दिनांक :–

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत श्री ....सेवानिवृत..(पदनाम) विभाग..(सेवानिवृति के समय पदस्थापित) को विभाग..(पदस्थापन किए जाने वाले कार्यालय का नाम) में रिक्त ....(पदनाम) के पद के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक ..../......./.......... के **परिशिष्ट–'क'** के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

पुनर्नियुक्ति की शर्तें:–

1. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष से 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जायेगा।
2. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्य मान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।
3. पुनर्नियुक्ति सेवायें 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।
5. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाइल/इंटरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

Signature valid
सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.03.28 11:03:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3482393